



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 30 जनवरी, 2026

माघ 10, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या 26/2026/199/तीस-3-2026

लखनऊ, 30 जनवरी, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0पी0नि0-12

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 1980 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (षष्ठम संशोधन)

नियमावली, 2026

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा संक्षिप्त नाम और (षष्ठम संशोधन) नियमावली, 2026 कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 1980 जिसे आगे नियम 2 का उक्त नियमावली कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर प्रतिस्थापन स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1**(विद्यमान नियम)****सेवा की प्राप्ति:-**

2-उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा में समूह "ख" के पद समाविष्ट हैं।

नियम 3 का
संशोधन

3-उक्त नियमावली में, नियम-3 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1**(विद्यमान नियम)****परिभाषा:-**

(ग) "आयोग" का अर्थ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है।

नियम 4 का
प्रतिस्थापन

4- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1**(विद्यमान नियम)****सेवा की सदस्य संख्या:-**

4-(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

4-(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या निम्नवत् होगी:-

पद का नाम	पदों की संख्या
मोटरयान निरीक्षक	124

परन्तु यह कि,
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसे वह उचित समझें।

नियम 5 का
प्रतिस्थापन

5-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1**(विद्यमान नियम)****भर्ती का स्रोत:-**

5- सेवा में मोटर यान निरीक्षक के पद पर भर्ती आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

स्तम्भ-2**(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)****सेवा की प्राप्ति:-**

2-उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा में समूह "ख" के अराजपत्रित एवं समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

स्तम्भ-2**(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)****परिभाषा:-**

मोटर यान निरीक्षक के पद के लिए "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है, एवं सहायक मोटर यान निरीक्षक के पद के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

4- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-2**(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)****सेवा की सदस्य संख्या:-**

4-(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

4-(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या निम्नवत् होगी:-

पद का नाम	पदों की संख्या
मोटरयान निरीक्षक	124
सहायक मोटरयान निरीक्षक	351

परन्तु यह कि,
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसे वह उचित समझें।

5-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-2**(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)****भर्ती का स्रोत:-**

5-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी-

1-मोटरयान निरीक्षक:-

(एक) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी सहायक मोटर यान निरीक्षक, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-1
(विद्यमान नियम)

6-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1
(विद्यमान नियम)

शैक्षिक अर्हता:-

8- सेवा में मोटरयान निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक हैं:-

(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया, और

(2) (एक) आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा, या

(दो) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मेकेनिकल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा, या

(तीन) उपर्युक्त में से किसी भी शाखा में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई समकक्ष अर्हता, और

(3) किसी प्रख्यात आटोमोबाइल कर्मशाला में, जो पेट्रोल और डीजल इंजन से युक्त हल्की मोटरगाड़ियों, भारी माल गाड़ियों और भारी यात्री मोटरगाड़ियों दोनों का मरम्मत कार्य करता हो, कम से कम एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव, और

(4) ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना आवश्यक है, जो उसे मोटर साइकिल, भारी माल गाड़ियों और भारी यात्री मोटरगाड़ियां चलाने हेतु प्राधिकृत करता हो।

(5) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा का सम्यक ज्ञान होना चाहिये।

स्तम्भ-2
(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)

(दो) पचास प्रतिशत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

2-सहायक मोटरयान निरीक्षक:-

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

मे दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर नियम 8 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ-2
(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)

शैक्षिक अर्हता:-

8- सेवा में विभिन्न पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:-

पद का नाम	शैक्षिक अर्हता
-----------	----------------

1-मोटरयान निरीक्षक

(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो: और

(2)(एक) आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा, या

(दो) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मेकेनिकल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा, या

(तीन) उपर्युक्त में से किसी भी शाखा में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई समकक्ष अर्हता; और

(3) किसी प्रख्यात आटोमोबाइल कर्मशाला में, जो पेट्रोल और डीजल इंजन से युक्त दोनों हल्की मोटर यानों एवं भारी माल यानों तथा भारी यात्री मोटर यानों का मरम्मत कार्य करता हो, कम से कम एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव; और

(4) ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना आवश्यक है, जो उसे मोटर साइकिल, भारी माल यानों और भारी यात्री मोटर यानों को चलाने हेतु प्राधिकृत करता हो।

(5) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है।

स्तम्भ-1
(विद्यमान नियम)

स्तम्भ-2
(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)

पद का नाम	शैक्षिक अर्हता
2- सहायक मोटरयान निरीक्षक	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है; और (2) (एक) आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा, या (दो) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मेकेनिकल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा, या (तीन) उपर्युक्त में से किसी विधा/शाखाओं में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई समकक्ष अर्हता; और (3) किसी प्रख्यात आटोमोबाइल कर्मशाला में, जो पेट्रोल और डीजल इंजन से युक्त दोनों हल्की मोटर यानों एवं भारी माल यानों तथा भारी यात्री मोटर यानों का मरम्मत कार्य करता हो, कम से कम एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव; और (4) ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना आवश्यक है, जो उसे मोटर साइकिल, भारी माल यानों और भारी यात्री मोटर यानों को चलाने हेतु प्राधिकृत करता हो। (5) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है।

नियम 13 के परन्तुक का प्रत्यावर्तन

7- उक्त नियमावली में, नियम 13 का परन्तुक, जिसे चतुर्थ संशोधन, 2014 द्वारा हटा दिया गया था, निम्नानुसार प्रत्यावर्तन किया जाएगा:-

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए किसी अभ्यर्थी से चिकित्सीय स्वस्थता का प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

नये नियम 15(क) का बढ़ाया जाना

8-उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम-15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 15(क) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:-

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया:-

15(क) सेवा में सहायक मोटर यान निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' पदों पर सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी।

नियम 16 एवं 17 का प्रत्यावर्तन

9-उक्त नियमावली में, नियम-16 एवं 17, जिसे चतुर्थ संशोधन, 2014 द्वारा हटा दिया गया था निम्नानुसार पुनः स्थापित किये जायेंगे:-

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया:-

16-पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार, अयोग्य को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

संयुक्त चयन सूची:-

17- यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियम 15 और नियम 16 के अधीन तैयार की गई सूची से अभ्यर्थियों के नामों को बारी-बारी से लेकर एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, प्रथम नाम नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची से होगा।

10- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-18 के स्थान पर, नियम 18 का स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:- संशोधन

स्तम्भ-1**(विद्यमान नियम)****नियुक्ति:-**

18(1) नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 15 के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं, तो चयन में निर्धारित वरिष्ठता क्रम में व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करते हुए एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा।

स्तम्भ-2**(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)****नियुक्ति:-**

18(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें यथास्थिति नियम 15,15(क), 16 या 17 के अधीन तैयार की गई सूचियों में आये हों, नियुक्ति करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा, यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया हो। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

11-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-22 के स्थान पर, नियम 22 का स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:- प्रतिस्थापन

स्तम्भ-1**(विद्यमान नियम)****वेतनमान:-**

22(1) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्नवत दिये गये हैं:-

पद का नाम	वेतनमान	
	वेतन में मैट्रिक्स लेवल	वेतनमान
मोटरयान निरीक्षक	लेवल-7	रु0 44,900- 1,42,400

स्तम्भ-2**(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)****वेतनमान:-**

22(1) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्नानुसार दिये गये हैं:-

पद का नाम	वेतनमान	
	वेतन में मैट्रिक्स लेवल	तत्समान वेतन
मोटरयान निरीक्षक	लेवल-7	रु0 44,900- 1,42,400
सहायक मोटरयान निरीक्षक	लेवल-6	रु0 35,400- 1,12,400

आज्ञा से,
अर्चना अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 26/2026/199/XXX-3-2026, dated January 30, 2026 :

No. 26/2026/199/XXX-3-2026

Dated Lucknow, January 30, 2026

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amending the Uttar Pradesh Transport (Subordinate) Technical Service Rules, 1980:

**THE UTTAR PRADESH TRANSPORT (SUBORDINATE) TECHNICAL SERVICE
(SIXTH AMENDMENT) RULES, 2026**

Short title and commencement	1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Transport (Subordinate) Technical Service (Sixth Amendment) Rules, 2026. (2) They shall come into force at once.										
Substitution of Rule 2	2. In the Uttar Pradesh Transport (Subordinate) Technical Service Rules, 1980, hereinafter referred to as the said rules, <i>for</i> existing Rule 2 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be <i>substituted</i> , namely:— <u>COLUMN-1</u> (Existing rule) <u>COLUMN -2</u> (Rule as hereby substituted)										
	Status of Service:— 2. The Uttar Pradesh Transport (Subordinate) Technical Service comprising Group 'B' posts. Status of Service:— 2. The Uttar Pradesh Transport (Subordinate) Technical Service is a service comprising Group 'B' Non-Gazetted and Group 'C' posts.										
Amendment of Rule 3	3. In the said rules, in Rule 3 <i>for</i> existing sub-rule (c) set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be <i>substituted</i> , namely:— <u>COLUMN-1</u> (Existing rule) <u>COLUMN -2</u> (Rule as hereby substituted)										
	Definition:— (c) 'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission; Definition:— (c) 'Commission' means for the post of Motor Vehicle Inspector is Uttar Pradesh Public Service Commission and for the post of Assistant Motor Vehicle Inspector is Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission;										
Substitution of Rule 4	4. In the said rules, <i>for</i> existing Rule 4 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be <i>substituted</i> , namely:— <u>COLUMN-1</u> (Existing rule) <u>COLUMN -2</u> (Rule as hereby substituted)										
	Strength of the Service:— 4. (1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2) The strength of the service until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Name of post</th><th style="text-align: center;">Number of posts</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Motor Vehicle Inspector</td><td style="text-align: center;">124</td></tr> </tbody> </table> Strength of the Service:— 4. (1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2) The strength of the service until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Name of post</th><th style="text-align: center;">Number of posts</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Motor Vehicle Inspector</td><td style="text-align: center;">124</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Assistant Motor Vehicle Inspector</td><td style="text-align: center;">351</td></tr> </tbody> </table>	Name of post	Number of posts	Motor Vehicle Inspector	124	Name of post	Number of posts	Motor Vehicle Inspector	124	Assistant Motor Vehicle Inspector	351
Name of post	Number of posts										
Motor Vehicle Inspector	124										
Name of post	Number of posts										
Motor Vehicle Inspector	124										
Assistant Motor Vehicle Inspector	351										
	Provided that:— (i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant thereby post, without entitling any person to compensation; or Provided that:— (i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or										

COLUMN-1

(Existing rule)

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

5. In the said rules, for existing Rule 5 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:—

COLUMN-1

(Existing rule)

Source of Recruitment:—

5. Recruitment to the post of Motor Vehicle Inspector in the service shall be made by direct recruitment through the Commission.

COLUMN-2

(Rule as hereby substituted)

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Substitution of Rule 5

COLUMN-2

(Rule as hereby substituted)

Source of Recruitment:—

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:—

1. Motor Vehicle Inspector:—

(i) Fifty percent by promotion from amongst substantively appointed Assistant Motor Vehicle Inspectors who have completed five years of service as such on the first day of recruitment year.

(ii) Fifty percent by direct recruitment through the Uttar Pradesh Public Service Commission.

2. Assistant Motor Vehicle Inspector:—

By direct recruitment through the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission.

6. In the said rules, for existing Rule 8 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:—

Substitution of Rule 8

COLUMN-1

(Existing rule)

Academic Qualification:—

8. A candidate for direct recruitment to the post of Motor Vehicle Inspector in the service must possess the following qualifications:—

(1) Must have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or examination recognized by the Government equivalent as thereto; and

(2) (i) A diploma in Automobile Engineering (3 years course); or

(ii) A diploma in Mechanical Engineering awarded by the State Board of Technical Education (3 years course); or

(iii) Any qualification in either of the above disciplines declared equivalent, by the Central Government or State Government; and

COLUMN-2

(Rule as hereby substituted)

Academic Qualification:—

8. A candidate for direct recruitment to the various post in the service must possess the following qualifications:—

Name of the Post	Qualification
1. Motor Vehicle Inspector	(1) Must have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or examination recognized by the Government equivalent as thereto; and (2) (i) A diploma in Automobile Engineering (3 years course); or (ii) A diploma in Mechanical Engineering awarded by the State Board of Technical Education (3 years course); or (iii) Any qualification in either of the above disciplines declared equivalent, by the Central Government or State Government; and

COLUMN-1 (Existing rule)	COLUMN -2 (Rule as hereby substituted)		
	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="873 247 998 310">Name of the Post</th><th data-bbox="998 247 1351 310">Qualification</th></tr> </table>	Name of the Post	Qualification
Name of the Post	Qualification		
(3) Working experience of at least one year in a reputed automobile workshop which undertakes repairs of both light motor vehicles, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles fitted with petrol and diesel engine; and (4) Must hold a driving license authorizing him to drive motor cycle, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles; (5) Must have thorough knowledge of Hindi language written in Devanagari script.	(3) Working experience of at least one year in a reputed automobile workshop which undertakes repairs of both light motor vehicles, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles fitted with petrol and diesel engine; and (4) Must hold a driving license authorizing him to drive motor cycle, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles; (5) Must have thorough knowledge of Hindi language written in Devanagari script.		
2.Assistant Motor Vehicle Inspector	(1) Must have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or examination recognized by the Government equivalent as thereto; and (2) (i) A diploma in Automobile Engineering (3 years course); or (ii) A diploma in Mechanical Engineering awarded by the State Board of Technical Education (3 years course); or (iii) Any qualification in either of the above disciplines/ branches declared equivalent, by the Central Government or State Government; and (3) Working experience of at least one year in a reputed automobile workshop which undertakes repairs of both light motor vehicles, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles fitted with petrol and diesel engine; and (4) Must hold a driving license authorizing him to drive motor cycle, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles; (5) Must have thorough knowledge of Hindi language written in Devanagari.		

7. In the said rules, the proviso of Rule 13 which was *omitted* by fourth amendment 2014, shall be restore as follows:

Restoration of the proviso of Rule 13

Provided that a Medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

8. In the said rules, *after* existing Rule 15, the following Rule 15(A) shall be *inserted*, namely:—

Insertion of new Rule 15(A)

Process of direct recruitment through Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission:—

15(A). Direct recruitment to the post of Assistant Motor Vehicle Inspector is the service shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group 'C' Posts (Mode and Procedure) Rules, 2015, as amended from time to time.

9. In the said rules, the Rule 16 and 17 which were *omitted* by fourth amendment 2014, shall be restore as follows:—

Restoration of Rule 16 and 17

Procedure for recruitment by promotion:—

16. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970 as amended from time to time.

Combined Select list:—

17. If appointment has to be made both by direct recruitment and by promotion a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates alternatively from the list prepared under Rule 15 and Rule 16, the first name being from the list prepared under Rule 16.

10. In the said rules, *for* existing Rule 18 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:—

Amentment of rule 18

COLUMN-1

(Existing rule)

Appointment:—

18.(1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under Rule 15.

(2) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.

COLUMN -2

(Rule as hereby substituted)

Appointment:—

18.(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under Rules 15, 15 (A), 16 or 17 as the case may be.

(2) Where in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with Rule 17.

(3) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, the names shall be arranged in accordance with the order, referred to in Rule 17.

Substitution of
Rule 22

11. In the said rules, *for* existing Rule 22 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:—

COLUMN-1

(Existing rule)

22. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the service, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules is given as follows:—

Name of post	Scale of Pay	
	Corresponding Pay band (Rs.)	Corresponding Grade pay
Motor Vehicle Inspector	Level-7	44900-1,42,400

COLUMN -2

(Rule as hereby substituted)

22. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the service, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules is given as follows:—

Name of post	Scale of Pay	
	Pay matrix Level	Corresponding pay
Motor Vehicle Inspector	Level-7	44900-1,42,400
Assistant Motor Vehicle Inspector	Level-6	35,400-1,12,400

By order,
ARCHANA AGRAWAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 376 राजपत्र-2026-(1145)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 12 सा० परिवहन-2026-(1146)-100 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।